



2026:AHC-LKO:22347

इलाहाबाद उच्च न्यायालय**लखनऊ****रिट-सी संख्या - 3022 वर्ष 2026**

मत्स्य जीवी सहकारी समिति लिमिटेड, बाराबंकी

द्वारा अध्यक्ष श्री शिव राज रावत

.... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग,

लखनऊ एवं 5 अन्य

.... प्रतिवादीगण(गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता

: रक्षित राज सिंह, आयुष अग्रवाल

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मोहन सिंह

न्यायालय संख्या-6**माननीय न्यायमूर्ति पंकज भाटिया**

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री रक्षित राज सिंह द्वारा दाखिल अनुपूरक शपथपत्र अभिलेख पर लिया गया।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, श्री मोहन सिंह, जो प्रतिवादी संख्या 5 के लिए ग्राम सभा की ओर से उपस्थित हैं, के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।

3. यह रिट याचिका 03.02.2026 के आदेश को चुनौती देते हुए दाखिल की गई, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा उ०प्र०राजस्व संहिता नियमावली के नियम 59 के अधीन प्रस्तुत अपील को निरस्त कर दिया गया।

4. संक्षेप में तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता को उ०प्र०राजस्व संहिता नियमावली के नियम 58 के प्रावधान के अनुसार मत्स्य पालन पट्टा आवंटित किया गया था। तत्पश्चात, यह आरोप लगाते हुए कि पट्टे की शर्तों का उल्लंघन हुआ है, उक्त पट्टा विलेख को निरस्त करने का आदेश पारित किया गया।

5. याचिकाकर्ता को तामील होने पर, पट्टे की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए याचिकाकर्ता को जारी किए गए कारण बताओ सूचनाओं के जवाब में, याचिकाकर्ता ने विस्तृत आपत्तियां प्रस्तुत कीं, जिनमें उक्त आरोप का खंडन किया गया था। तथापि, इसके बावजूद, दिनांक 24.10.2025 को एक आदेश पारित किया गया, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को दस वर्ष की अवधि के लिए प्रदत्त पट्टा निरस्त कर दिया गया।

6. यह तर्क दिया गया कि उक्त निरस्तीकरण से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय से संपर्क करते हुए रिट-सी संख्या 11038 वर्ष 2025 दाखिल की, उक्त रिट याचिका में प्रतिवादी(गण) के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक प्रारंभिक आपत्ति ली गई कि उ०प्र०राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 59 के अधीन एक अपील का प्रावधान है, और उक्त प्रारंभिक आपत्ति को स्वीकार करते हुए, रिट याचिका को अपोषणीय मानते हुए निरस्त कर दिया गया, तथा याचिकाकर्ता को नियम 59 के प्रावधान के अनुसार अपील करने हेतु संबंधित प्राधिकारी के समक्ष जाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। उक्त आदेश दिनांक 30.11.2025 को पारित किया गया। प्रदत्त

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

स्वतंत्रता के अनुसरण में, याचिकाकर्ता ने उक्त नियमों के नियम 59 के अधीन अपील प्रस्तुत की। उक्त नियमों के अधीन, एक प्रारंभिक आपति ली गई कि अपील पोषणीय नहीं है, और उक्त आपति को स्वीकार करते हुए, अपील को अपोषणीय मानते हुए निरस्त कर दिया गया।

7. उक्त आदेश को प्रश्नगत करते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, श्री रक्षित राज सिंह, यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि किसी भी गलत के लिए अनुतोष का अभाव नहीं हो सकता। वर्तमान प्रकरण में, यद्यपि दिनांक 24.10.2025 को पारित निरस्तीकरण आदेश से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल आपतियों पर विचार किए बिना ही पट्टा निरस्त कर दिया गया, प्रारंभ में याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए एक रिट याचिका दाखिल की, जिसे वैकल्पिक अनुतोष के आधार पर निरस्त कर दिया गया, और अब उस वैकल्पिक अनुतोष में, प्रतिवादीगण ने ऐसा रुख अपनाया है जो रिट-सी संख्या 11038 वर्ष 2025 के विचारण के समय इस न्यायालय के समक्ष लिए गए रुख के विपरीत है, तथा रिट-सी संख्या 11038 वर्ष 2025 के निर्णय के समय उठाई गई दोनों प्रारंभिक आपतियों और दिनांक 03.02.2026 के निर्णय में परस्पर विरोधी रुख अपनाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता के अवैध निरस्तीकरण आदेश को चुनौती देने के अधिकार से वंचित किया गया।

8. यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि रिट याचिका दाखिल किए जाने के पश्चात, याचिकाकर्ता द्वारा उसे प्रदत्त पट्टे के अनुपालन में किए गए निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया, परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है, क्योंकि दो न्यायालयों के समक्ष परस्पर विरोधी रुख अपनाए गए, पहला इस न्यायालय द्वारा रिट-सी संख्या 11038 वर्ष 2025 के निर्णय के समय तथा दूसरा अपीलीय न्यायालय द्वारा, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 03.02.2026 को अपील निरस्त कर दी गई।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

9. दोनों पक्षकार सहमत हैं कि विधि भली-भांति स्थापित है कि नियम 59 के अधीन अपील का प्रावधान है, इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया गया है, राजत चौधरी बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० एवं 2 अन्य, पारित रिट-सी संख्या 25723 वर्ष 2022 में, रामू उर्फ राजेश बनाम स्टेट ऑफ यू०पी०, पारित प्रकीर्ण बेंच संख्या 4185 वर्ष 2021 में तथा चंदन कश्यप बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० एवं 4 अन्य, पारित रिट-सी संख्या 13610 वर्ष 2023 में, जिनमें इस न्यायालय को नियम 59 की व्याख्या करने का अवसर प्राप्त हुआ, और यह निर्णयित किया गया कि नियम 59 के अनुसार अपील का प्रावधान है।

10. पक्षकारों के मध्य अपील के प्रावधान के संबंध में सामान्य आधार को दृष्टिगत रखते हुए, दिनांक 03.02.2026 का प्रश्नगत आदेश कायम नहीं रह सकता है और तदनुसार उसे अपास्त किया जाता है।

11. प्रकरण को अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्रत्यावर्तित किया जाता है, अपील को गुण-दोष के आधार पर पुनः सुनकर निर्णय करने के लिये, बिना विलंब के, अधिमानतः आज से छह सप्ताह की अवधि के भीतर।

12. लंबित अपील में याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल किसी भी अंतरिम प्रार्थना पत्र का भी, उसके दाखिल किए जाने की तिथि से एक सप्ताह की अवधि के भीतर निस्तारण किया जाएगा।

13. यह स्पष्ट किया जाता है कि अपील का निर्णय गुण-दोष के आधार पर किया जाएगा तथा उसे पोषणीयता के उसी आधार पर निर्णयित नहीं किया जाएगा।

14. याचिकाकर्ता के लिए यह खुला रहेगा कि वह उन आख्या को प्राप्त करे जिनके आधार पर दिनांक 24.10.2025 का आदेश पारित किया गया था। यदि इस प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष दाखिल किया जाता है, दस्तावेज,

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

जो दिनांक 24.10.2025 के आदेश के पारित किए जाने का आधार हैं, उपलब्ध कराए जाएंगे।

15. उपर्युक्त के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति पंकज भाटिया)

31 मार्च, 2026

राज

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।